संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा 2010 की प्रथम काउंसिलिंग की सूचना

(मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं मध्यप्रदेश के निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा सीटों पर आवंटन बावत्)

व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित प्री–पी.जी. प्रवेश परीक्षा 2010 में भाग लेने वाले उम्मीद्वारों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों के आधार पर जारी प्रावीण्य सूची (मेरिट) के अनुसार चयनित उम्मीद्वारों को उपलब्ध डिग्री एवं डिप्लोमा की सीटों पर नियमानुसार आवंटन प्रदान करने हेतु प्री–पीजी काउंसलिंग का आयोजन **दिनांक 03.04.2010 से दिनांक 07.04.2010 तक प्रातः 10.00** बजे से निम्न कार्यक्रम अनुसार **गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल** में किया जा रहा हैः–

काउंसलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	पाठ्यक्रम /श्रेणी का नाम	वे उम्मीद्वार जिन्हें उपस्थित होना है
03.04.2010	स्कूटनी सेवारत् उम्मीदवार	मेडिकल पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा सभी श्रेणियों के सेवारत उम्मीदवार तथा पी0एच0 के केवल यू0आर0 एवं ओ0बी0सी0 के सेवारत उम्मीदवार	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
03.04.2010	स्कूटनी	एम.डी.एस. अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) अनारक्षित (यूआर)/ (सभी श्रेणी के पी0एच0 सहित)	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
04.04.2010	आवंटन	मेडिकल पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा सभी श्रेणियों के सेवारत उम्मीदवार तथा पी0एच0 के केवल यू0आर0 एवं ओ0बी0सी0 के सेवारत उम्मीदवार	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
04.04.2010	आवंटन	एम.डी.एस. अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) अनारक्षित (यूआर)/ (सभी श्रेणी के पी0एच0 सहित)	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
04.04.2010	स्कूटनी	मेडिकल पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा अनूसूचित जनजाति (एस.टी.) पी.एच. अनूसूचित जाति (एस.सी.) पी.एच. अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) पी.एच.	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
04.04.2010	स्कूटनी	मेडिकल पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा अनूसूचित जनजाति (एस.टी.) ओपन	मेरिट क्र0 01 से 100 तक

05.04.2010	आवंटन	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनूसूचित जनजाति (एस.टी.) पी.एच. अनूसूचित जाति (एस.सी.) पी.एच. अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) पी.एच.	मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार
05.04.2010	आवंटन	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनूसूचित जनजाति (एस.टी.) ओपन	मेरिट क्र0 01 से 100 तक
05.04.2010	स्कूटनी	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनूसूचित जाति (एस.सी.) ओपन अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) ओपन	 मेरिट क्र0 01 से 75 तक मेरिट क्र0 01 से 75 तक
06.04.2010	आवंटन	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनूसूचित जाति (एस.सी.) ओपन अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) ओपन	 मेरिट क्र0 01 से 75 तक मेरिट क्र0 01 से 75 तक
06.04.2010	स्कूटनी	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनारक्षित (यू.आर.) पी.एच. अनारक्षित (यू.आर.) ओपन	 सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र0 01 से 250 तक
07.04.2010	आवंटन	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनारक्षित (यू.आर.) पी.एच. अनारक्षित (यू.आर.) ओपन	 सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र0 01 से 250 तक

आयोजित की जा रही काउंसलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कॉल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है । व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर समस्त श्रेणी के मेरिट उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

आवेदक को काउंसिलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा ।

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार केवल) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपेय 1.80 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना अनिवार्य होगा ।

प्री0पी0जी0 परीक्षा नियम, 2010 के नियमानुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां दो सेट के बिना काउंसिलिंग में भाग लेनेकी पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा नियम 2010 का भलीभांति अध्ययन कर लेवें । यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार ही मान्य किये जावेंगें ।

सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्पांसरशिप प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग स्थल पर जमा करना आवश्यक है । सेवारत उम्मीदवारों को काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग व्यय के रूप में रूपये 1500/– (रूपये एक हजार पांच सौ केवल) का बैंक ड्राफ्ट, जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, उपलब्ध कराना होगा ।

नोटः—

1— प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा 2010 के निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविघालय से संबंधित परीक्षा परिणाम, काउंसिलिंग एवं प्रवेश आदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सुनी जा रही एस0एल0पी0क्रमांक 13111/09 के अंतिम निर्णय के अधीन होंगें ।

2— यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

3— एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

4— उम्मीदवारों की स्क्रूटनी उपलब्ध सीट्स के अनुसार की जायेगी ।

5— आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो कि स्वयं की श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित श्रेणी से सीट आवंटन करवाने का विकल्प देना चाहते है किन्तु उन्हें 3 अप्रैल,2010 से 7 अप्रैल,2010 तक आयोजित काउंसलिंग में अनारक्षित श्रेणी में मेरिट क्रमांक 250 के पश्चात् होने के कारण नहीं बुलाया गया हो, उन्हें अगली काउंसलिंग में अनारक्षित श्रेणी में काउंसलिंग में भाग लेने के लिये विकल्प देने के लिये पात्रता होगी ।

6— **आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को काउंसलिंग स्थल पर स्थायी जाति प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश